



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:— एफ2(3)लागत/1037 (iv)/ 24


दिनांक : 29/5/2023

—: परिपत्र :-

मण्डल की समस्त योजनाओं हेतु वर्ष 2023-24 की विकसित भूमि दर निर्धारित करने हेतु, पत्र संख्या एफ2(3)लागत/1037 (iv)/14 दिनांक 12.05.2023 के द्वारा अपेक्षित सूचनायें दिनांक 26.05.2023 तक प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु खण्ड-अजमेर कार्यालय के अलावा किसी भी कार्यालय से वांछित सूचनायें प्राप्त नहीं हुई हैं।


उक्त सूचनाओं के अभाव में वर्ष 2023-24 के लिए मण्डल की योजनाओं की विकसित भूमि दर निर्धारित किया जाना संभव नहीं हो रहा है संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई सूचनायें 07 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करावे। ताकि प्राप्त दस्तावेजों की जांच कर आगामी वर्ष 2023-24 की विकसित भूमि दर निर्धारित की जा सके। इसके पश्चात् प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जावेगा।

वांछित सूचना यथा समय उचित माध्यम से प्राप्त न होने पर देरी के लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होंगे।


इ.प्र.वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1-- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2-- मुख्य अभियन्ता-I/II/मु0)/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3-- अति.मु.अभियन्ता,, रा.आ.म., जयपुर/जोधपुर।
- 4-- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-, रा.आ.म.,
- ✓ 5-- संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
- 6-- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-, रा.आ.म.,
- 7-- सहायक लेखाधिकारी-प्रथम, वृत्त-, रा.आ.म.,
- 8-- सम्बन्धित पत्रावली।
- 9-- रक्षित पत्रावली।



वित्तीय सलाहकार